

कार्यालय अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)

Website- www.datiamedicalcollege.com
datiamedicalcollege2018@gmail.com

टेलीफोन नं. 07522-234001

E mail Id- datiamedicalcollege@gmail.com

&

पिनकोड - 475661

पता- 29 बटालियन के पास, एन.एच. 44, जिला दतिया, म.प्र.

दतिया, दिनांक -08/11/2021

पत्र क्रमांक - 9373 /द.चि.म./2021

प्रति,

आयुक्त
जनसम्पर्क
म.प्र.

विषय-विज्ञप्ति प्रकाशित करवाने विषयक।

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अन्तर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया, म.प्र. के अधीन MCI/NMC के मापदण्डानुसार M.B.B.S. 4th Renewal के लिए जारी विज्ञप्ति क्र. 5167/द.चि.म./2020 दतिया दिनांक 21.07.2020 को 100 पोइन्ट रोस्टर ओ.बी.सी. का 27 प्रतिशत रिजर्वेशन होने के कारण निरस्त करते हुए स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध विज्ञप्ति तैयार कर पुनर्विज्ञप्ति हेतु आपकी ओर संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न विज्ञप्ति को 03 प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों एवं 02 अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने हेतु संबंधित अधिकारी को आदेशित करने का कष्ट करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
दतिया (म.प्र.)

दतिया, दिनांक -08/11/2021

पृष्ठांकन क्र. -9373-78 /द.चि.म./2021

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
4. आयुक्त, संभाग-ग्वालियर एवं अध्यक्ष, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, दतिया।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।

अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
दतिया (म.प्र.)

कार्यालय अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)

टेलीफोन नं. 07522-234001

E mail Id- datiamedicalcollege@gmail.com

Website- www.datiamedicalcollege.com

&

datiamedicalcollege2018@gmail.com

पता- 29 बटालियन के पास, एन.एच. 44, जिला दतिया, म.प्र. पिनकोड - 475661

दतिया, दिनांक -08/11/2021

क्रमांक - 371 / द.चि.म. / 2021

// विज्ञप्ति //

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अन्तर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया, म.प्र. के अधीन MCI/NMC के मापदण्डानुसार M.B.B.S. 4th renewal के लिए जारी विज्ञप्ति क्र. 5167/द.चि.म./2020 दतिया दिनांक 21.07.2020 को 100 पोइन्ट रोस्टर ओ.बी.सी. का 27 प्रतिशत रिजर्वेशन होने के कारण निरस्त करते हुए पुनर्विज्ञप्ति कर निम्नलिखित रिक्त पदों की सीधी भर्ती द्वारा पूर्ति की जा रही है। इस हेतु विभिन्न पदों के लिए रिक्तियाँ नीचे दी गई तालिका के अनुसार निम्नानुसार हैं :-

प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/प्रदर्शक-(ट्यूटर) के पद हेतु सीधी भर्ती विज्ञापन रोस्टर

क्र.	विभाग का नाम	प्राध्यापक				सह-प्राध्यापक				सहायक प्राध्यापक				प्रदर्शक (ट्यूटर)			
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC
1.	एनार्टोमी	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2.	पैथोलॉजी	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1
3.	फॉरेंसिक मेडिसिन	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4.	कम्यूनिटी मेडिसिन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
5.	ई.एन.टी.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	जनरल मेडिसिन	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
7.	जनरल सर्जरी	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	ऑब्स एंड गायनी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
9.	पीडियाट्रिक्स	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
10.	एनेस्थिसियोलॉजी	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
11.	डर्मटोलॉजी	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	टी.बी. एंड च्हेस्ट	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	रेडियोलॉजिस्ट	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	पी.एम.आर.	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
कुल		3	0	0	0	10	0	2	4	2	0	0	5	0	1	1	2

(यह नियुक्तियाँ नवीन आरक्षण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के अध्याधीन होंगी।)

उपरोक्त चिन्हित पदों में SC=अनुसूचित जाति, ST=अनुसूचित जनजाति, OBC =अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित हैं, UR=अनारक्षित

नोट-

- आरक्षण संबंधी म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आरक्षण में नियमों का पालन किया जावेगा। पदों की संख्या कमी/वृद्धि की जा सकती है।

वेतनमान -नियमित नियुक्ति हेतु

प्राध्यापक	-	अकादमिक स्तर-14, मैट्रिक्स वेतन- 1,44,200/- (6 वें वेतनमान 37400-67000+ ग्रेड-पे 10000 + डी.ए. के अनुरूप)
सह प्राध्यापक	-	अकादमिक स्तर-13, मैट्रिक्स वेतन- 1,31,400/- (6 वें वेतनमान 37400-67000+ ग्रेड-पे 9000+ डी.ए. के अनुरूप)
सहायक प्राध्यापक	-	अकादमिक स्तर-11, मैट्रिक्स वेतन- 68,900/- (6 वें वेतनमान 15600-39100+ ग्रेड-पे 7000+ डी.ए.के अनुरूप)
प्रदर्शक/ट्यूटर	-	अकादमिक स्तर-10, मैट्रिक्स वेतन- 57,700/- (6 वें वेतनमान 15600-39100+ ग्रेड-पे 6000 + डी.ए.के अनुरूप)

टीप - समस्त पदों के लिये राज्य शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत वेतनमान/निश्चित मानदेय एवं अन्य मत्ते आदि देय होंगे।

2. आयु सीमा -

	न्यूनतम	अधिकतम
प्राध्यापक	- 35 वर्ष	62 वर्ष
सह प्राध्यापक	- 30 वर्ष	62 वर्ष
सहायक प्राध्यापक	- 25 वर्ष	62 वर्ष
प्रदर्शक/ट्यूटर	- 22 वर्ष	62 वर्ष

टीप -आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात आने वाली 01 जनवरी के दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

3. पदों पर आरक्षण म.प्र. शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।

- जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर एवं म. प्र. शासन द्वारा घोषित आरक्षित जातियों को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।

4. अर्हताये :-

- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्/राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हताएँ।

प्राध्यापक

- संबंधित विषय में इन विनियमों के अनुसार स्नात्कोत्तर शैक्षणिक योग्यता एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी. के साथ (1) सह-प्राध्यापक अनुभव किसी अनुमति प्राप्त/अनुमोदित/मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/संस्थान में तीन वर्ष का अनुभव के साथ तीन अनुसंधान प्रकाशन एन.एम.सी./एम.सी.आई. की वर्तमान गाईडलाईन के अनुरूप।
(2) चिकित्सा शिक्षा प्राद्यौगिकी में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा निर्दिष्ट संस्थानों में मूल भूत पाठ्यक्रम पूरा कराना चाहिए।
(3) बायोमेडिकल रिसर्च में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा निर्दिष्ट संस्थानों में मूलभूत पाठ्यक्रम पूरा कराना चाहिए।
- इसके अलावा बशर्ते कि 2 साल की परागमन अवधि के लिए अधिसूचना की दिनांक से प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्ताएँ विनियमावली, 1998" अधिसूचना के अनुसार संस्था द्वारा की जा सकती है जैसा कि इस अधिसूचना के जारी होने से पहले था।

सह-प्राध्यापक

- संबंधित विषय में और इन विनियमों के अनुसार स्नात्कोत्तर शैक्षणिक योग्यता एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी.
(1) सह-प्राध्यापक अनुभव किसी अनुमति प्राप्त/अनुमोदित/मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/संस्थान में चार वर्ष का अनुभव के साथ तीन अनुसंधान प्रकाशन एन.एम.सी./एम.सी.आई. की वर्तमान गाईडलाईन के अनुरूप।
(2) चिकित्सा शिक्षा प्राद्यौगिकी में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा निर्दिष्ट संस्थानों में मूल भूत पाठ्यक्रम पूरा कराना चाहिए।
(3) बायोमेडिकल रिसर्च में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा निर्दिष्ट संस्थानों में मूलभूत पाठ्यक्रम पूरा कराना चाहिए।
- इसके अलावा बशर्ते कि 2 साल की परागमन अवधि के लिए अधिसूचना की दिनांक से प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्ताएँ विनियमावली, 1998" अधिसूचना के अनुसार संस्था द्वारा की जा सकती है जैसा कि इस अधिसूचना के जारी होने से पहले था।

सहायक प्राध्यापक

- संबंधित विषय में और इन विनियमों के अनुसार स्नात्कोत्तर शैक्षणिक योग्यता एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी. (1) अनुमति प्राप्त/अनुमोदित/मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/संस्थान में संबंधित विषय में कनिष्ठ रेजीडेंट के रूप में 03 वर्ष व किसी मान्यता प्राप्त/अनुमति प्राप्त मेडिकल कॉलेज में संबंधित विषय में एवं वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में 01 वर्ष का अनुभव।

प्रदर्शक

- प्रदर्शक पद की न्यूनतम आयु सीमा 22 वर्ष शैक्षणिक अर्हताएं चिकित्सा उम्मीदवारों को किसी एम.सी.आई./एन.एम.सी. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में एम.बी.बी.एस. की डिग्री अनिवार्य है।

नोट – नियुक्ति में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित नवीन TEQ के संबंध में अधिसूचित राजपत्र क्रमांक 66 नई दिल्ली दिनांक 12 फरवरी 2020 के अनुरूप अर्हताधारी उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।

5. निरर्हतायें-

- 5.1 विकृत चित्त वाला होने पर।
- 5.2 दुष्चरित्र होने पर।
- 5.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- 5.4 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशांसा – किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशांसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।
- 5.5 विवाह संबंधी – जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।
- 5.6 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
- 5.7 कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- 5.8 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
- 5.9 स्वास्थ्य संबंधी – चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।
6. सभी पदों पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिये परीवीक्षा पर अनुबंध पर की जावेगी।
7. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो सीधी भर्ती के पद के विरुद्ध आवेदन देने के लिये स्वतन्त्र होगा और ऐसे आवेदन के लिये उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा।
8. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय-समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।

9. ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिये आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा। उनकी सेवाएँ प्रतिनियुक्ति पर मानी जावेगी।

10. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष, जो भी पहले हो तक संबंधित स्वशासी महाविद्यालय में सेवायें देनी होंगी। आवेदक को इस बाबत सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे एक वर्ष का वेतन /मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी।

11. मध्य प्रदेश शासन के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सक हेतु प्रतिनियुक्ति के लिये मूल नियोक्ता की सहमति अनिवार्य होगी।

12. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि :- शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया में आवेदन पत्र दिनांक 20.11.2021 सांय 05:00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

13. आवेदन शुल्क :- निःशुल्क

14. आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज :-कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानी पूर्वक निर्देशों को पढ़ लें।

1. जन्मतिथि के समर्थन में हाईस्कूल परीक्षा मार्कशीट /सर्टिफिकेट /जन्मप्रमाण पत्र।
2. आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता के समर्थन में संबंधित डिग्री /डिप्लोमा /अंकसूचियाँ /अटैम्ट सर्टिफिकेट।
3. पब्लिकेशन की सत्यापित प्रतियाँ।
4. म.प्र. में संबंधित काउंसिल से जीवित रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
5. फोटो पहचान प्रमाण पत्र।
6. जाति प्रमाण पत्र।
7. अनापत्ति प्रमाण पत्र।
8. अनुभव प्रमाण पत्र।
9. पुराने नियोक्ता का कार्यमुक्ति आदेश (चयन उपरांत)।

15. उपरोक्त तिथियाँ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित की जा सकती है। यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया की वेबसाइट www.datiamedicalcollege.com एवं संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल की वेबसाइट <http://www.medicaleducation.mp.gov.in/> का नियमित रूप से अवलोकन करते हुए महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देशों पर ध्यान दें। इस संबंध में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया की कोई जबाबदारी नहीं होगी। यदि आवेदक समय-समय पर महाविद्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देशों का अवलोकन करने में असफल होता है तो इसकी दायेदारी मान्य नहीं की जावेगी। परंतु इसके पश्चात् भी यदि अभ्यर्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी आवेदन प्रपत्र में दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण टीप :-यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करे ले ओर अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय
दतिया (म.प्र.)

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)

.....के पद पर, विभाग में नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र
(अंतिम तिथि 20/11/2021, सांय 05:00 बजे तक)

स्वप्रमाणित
फोटो

नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

1. आवेदक का नाम
2. पुरुष/महिला.....
3. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित).....
4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....
.....
शहर का नाम..... फोन नं.....
मोबाइल नं..... ई-मेल आई.डी.
5. स्थाई पता.....
.....
शहर का नाम..... फोन नं.....
मोबाइल नं.....
6. आधार कार्ड नम्बर (हो तो)
7. जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें).....
8. दिनांक / /2021 को आवेदक की आयुदिन माह वर्ष
9. आवेदक की वैवाहिक स्थिति- विवाहित/अविवाहित
10. विवाह का दिनांक-
11. वर्ग : अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / विकलांग (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
12. मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक
अ. (एम.बी.बी.एस.)-
ब. एमडी/एमएस-
स. एमसीएच/डीएम/पी.एच.डी.-
13. शैक्षणिक योग्यताएं:- (प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड / वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	एम.बी.बी.एस. के कुल प्राप्तांक/प्रतिशत	प्रयास (Attempt)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MBBS First Prof.						
2	MBBS Second Prof.						
3	MBBS Final Part I						
4	MBBS Final Part II						
5	MD/MS						
6	MCH/DM/PhD						

(प्रत्येक वर्ष का पृथक-पृथक भरें)

नोट:- प्रत्येक परीक्षा के प्रयास (Attempt) प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें।

14. शैक्षणिक अनुभव :-

क्रमांक	पदनाम	संस्था का नाम	दिनांक से	दिनांक तक
1	प्राध्यापक			
2	सह प्राध्यापक			
3	सहायक प्राध्यापक			
4	ट्यूटर/प्रदर्शक/S.R.			

15. रिसर्च पब्लिकेशन :- (एम.सी.आई./एन.एम.सी. के अनुरूप)

क्रमांक	पदनाम	रिसर्च पब्लिकेशन*
1	प्राध्यापक	
2	सह प्राध्यापक	
3	सहायक प्राध्यापक	
4	ट्यूटर/प्रदर्शक/S.R.	

16. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची -

.....

स्थान.....

दिनांक.....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

// घोषणा-पत्र //

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर